न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 55/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/80

बनाम

प्रार्थी :–
1. रामनिवास पुत्र श्रीराम
2. मोहनराम पुत्र श्रीराम
3. कमली पुत्री श्रीराम
4. परमू पुत्री श्रीराम
5. सुगनी पत्नी श्रीराम
जातियान जाट निवासीगण कालग
तहसील पीपाड़ शहर

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मधुसूदन डूडी प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदारपीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :–11/03/2025

''आदेश''

दिनांक : 15/10/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम साथीन चक प्रथम तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जासुद जमीन आयी हुई जिसके खाता संख्या 797 खसरा संख्या 844 रकबा 1.8668 हैक्टेयर किस्म बारानी व ग्राम भुण्डणा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में पुश्तैनी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका खाता संख्या 381 खसरा नम्बर 928 रकबा 2.0678 हैक्टेयर किस्म बारानी आयी हुई है, जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सहदायगी सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को अपने स्वर्गीय पिता श्रीराम पुत्र शिवदानराम के जरिये विरासत प्राप्त हुई। प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम है तथा ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी ख न 844 रकबा 1.8668 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवदानराम था तथा वोटर लिस्ट 1999 में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवदानराम दर्ज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में सेवन से त्रुटिवश श्रीराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

शिवराम गलत रूप से दर्ज गया। इसी प्रकार ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 2.0678 हैक्टेयर आयी हुई है जो प्रार्थीगण के पिता शिवराम पुत्र शिवदान के नाम से गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम श्रीराम पुत्र शिवदानराम है लेकिन त्रुटिवश शिवराम पुत्र शिवदान दर्ज हो गया। प्रार्थीगण के पिता श्रीराम पुत्र शिवदानराम का देहान्त दिनांक 31/05/2019 को हो गया। प्रार्थीगण ने फौतेदगी नामान्तरकरण हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकले दिनांक 10/03/2025 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत रूप से इन्द्राज हो गया । इस पर प्रार्थीगण ने ग्राम साथीन चक प्रथम की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 844 रकबा 1.8668 हैक्टैयर में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम दुरूस्त करने एवं ग्राम भुण्डाणा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 2.0678 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवराम पुत्र शिवदान के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया। इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती न्यायालय से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया। अतः राजस्व ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 844 में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम व राजस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 928 में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवराम पुत्र शिवदान के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 844 में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम व राजस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 928 में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवराम पुत्र शिवदान के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 844 में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शिवराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम व राजस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 928 में प्रार्थीगण के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

नाम शिवराम पुत्र शिवदान के स्थान पर श्रीराम पुत्र शिवदानराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर